भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 953

11 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

गैर-अधिशासी कर्मचारियों का वेतन

953. श्री धीरज प्रसाद साहू :

डॉ. अमी याज्ञिक :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभ में होने के बावजूद, इस्पात क्षेत्र में गैर-अधिशासी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण संबंधी समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या गैर-अधिशासी कर्मचारियों के बकाया और भत्ते का भुगतान कर दिया गया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस्पात प्रबंधन एमओयू निष्पादित किए बिना ही बढ़े हुए वेतन का भुगतान कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग तिथियों पर भत्ते लागू करने के क्या कारण हैं और इस निर्णय का आधार क्या है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (ग): डीपीई के, दिनांक 24.11.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0015/2016-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XXIV/17 के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के गैर-कार्यपालक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित अंतिम वेतन संशोधन के समय इस्पात मंत्रालय के पास इस्पात निर्माण से संबंधित दो सीपीएसई थे यथा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)।

सेल में, दिनांक 22.10.2021 को इस्पात संबंधी राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) के स्तर पर सेल में गैर-कार्यपालक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन हेतु हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन की स्थिति **अनुलग्नक** पर संलग्न है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने कंपनी की वित्तीय स्थिति के आलोक में दिनांक 24.11.2017 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-कार्यपालकों के लिए वेतन संशोधन को कार्यान्वित नहीं किया है। वित्त वर्ष 2021-22 को छोड़कर वित्त वर्ष 2018-19 से कंपनी का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) नकारात्मक रहा है।

(घ): केन्द्रीय सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के अधिकारियों (कार्यपालकों) के भत्तों की तरह अधिकारियों एवं कर्मचारियों (गैर-कार्यपालकों) के भत्तों को डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)- जीएल-XIII/17 के माध्यम से डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न तिथियों पर कार्यान्वित किया गया है, जबकि कर्मचारियों (गैर-कार्यपालकों) के मामले में वेतन संशोधन तथा अन्य लाभों को सेल में दिनांक 24.11.2017 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में ट्रेड यूनियन/संघों के साथ हुए एमओयू के अनुसार कार्यान्वित किया गया है।

*****

अनुलग्नक

समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	लाभ	**पूर्ति/कार्यान्वयन की स्थिति**
1	01/01/2017 को 13% बेसिक + डीए फिटमेंट की दर से लाभ के साथ संशोधित मूल वेतन	01/01/2017 से सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया और वास्तविक भुगतान 01/04/2020 से शुरू हुआ
2.	01.01.2017 को 100% डीए न्यूट्रालाइज करना और डीए को त्रैमासिक रूप से संशोधित करना	01/01/2017 से सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया और वास्तविक भुगतान 01/04/2020 से शुरू हुआ। इसके बाद तिमाही आधार पर डीए में संशोधन किया गया।
3.	सरकार के अनुमोदन की तारीख से परिवर्तनीय अनुलाभ और भत्तों के रूप में मूल वेतन का 26.5%	सरकार के अनुमोदन की तारीख अर्थात 18/11/2021 से लागू किया गया (जैसा कि दिनांक 22/10/2021 के एनजेसीएस समझौता ज्ञापन में सहमति व्यक्त की गई है)
4.	01/04/2020 से लेकर वेतन समझौते के कार्यान्वयन तक की अवधि के लिए मूल और डीए तथा सेवानिवृत्ति लाभों का बकाया एक ही किस्त में	भुगतान किया गया।
5.	एनजेसीएस की उप समिति निम्नलिखित मुद्दों पर काम करेगी: ○ 01/01/2017 से वेतनमान ○ कैफेटेरिया एप्रोच के तहत परिवर्तनीय अनुलाभ और भत्ते ○ समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करना ○ मकान किराया भत्ता/मकान किराया वसूली ○ 01/01/2017 से 31/03/2020 तक की अवधि के लिए बकाया राशि जारी करना	• दिनांक 01/01/2017 से संशोधित वेतनमान एवं • कैफेटेरिया एप्रोच के तहत परिवर्तनीय भत्ते उपर्युक्त पर प्राप्त एनजेसीएस की उप-समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।